


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2015/माघ 30, 1936

No. 409]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2015/MAGHA 30, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2015

का.आ. 573(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (रा.आ.प्र.प्रा.), श्री आर.के. जैन, सचिव, रा.आ.प्र.प्रा., को इस प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित करते हैं ।

2. श्री आर.के. जैन, सदस्य सचिव, रा.आ.प्र.प्रा., के रूप में कार्य करेंगे तथा उनका कार्यकाल, उनके सचिव, रा.आ.प्र.प्रा., के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक, जो पहले हो, होगा ।

[फा. सं. 44-24/2014-एन.डी.एम.-II]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2015

S.O. 573(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority (NDMA) has nominated Shri R.K. Jain, Secretary NDMA, as Member, National Disaster Management Authority.

2. Shri R.K. Jain, will function as Member Secretary NDMA, for a period co-terminus with his tenure as Secretary NDMA or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 44-24/2014-NDM-II]

G.V.V. SARMA, Jt. Secy.